सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 17, बुधवार, *शाके* 1945-जून 07, 2023 *Jyaistha 17, Wednesday , Saka 1945- June 07, 2023*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

स्कूल शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2023

संख्या पः21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2022:- राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 28 के साथ पठित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित गठन से राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करती है।

अध्यक्ष:

शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार

पदेन सदस्य:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर - सदस्य सचिव।

नामित सदस्य

1. श्री बागा राम सार्दुल, सेवानिवृत स्कूल व्याख्याता, बीकानेर, (गैर सरकारी सदस्य (अनुसूचित जाति)
2. सुश्री निर्मल मीणा पुत्री श्री राम नारायण मीणा, कोटा, गैर सरकारी सदस्य (अनुसूचित जनजाति)
3. डॉ. जफर निदेशक, प्रगति शिक्षक संस्थान, कोटा, गैर सरकारी सदस्य (अल्पसंख्यक)
4. श्रीमती सुशीला बोहरा-जोधपुर, गैर सरकारी सदस्य (विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का ज्ञान रखने वाला)
5. श्रीमती सुर्दशना कुल्हार, सेवानिवृत्त सीबीईओ झोटवाड़ा, जयपुर, गैर सरकारी सदस्य (पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञ)
6. श्री शिव सिंह परिहार, जोधपुर, गैर सरकारी सदस्य (अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञ)
7. (1) श्री प्रताप सिंह कस्वां, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, नवा, तह.-राजगढ़, चुरू,

   (2) श्री अनिल शर्मा, अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा परिवार, जयपुर। गैर सरकारी सदस्य (सामान्य)

राज्य सलाहकार परिषद् निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देंगी।

परिषद् के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष की होंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य सलाहकार परिषद् के कार्य हेतु प्रशासनिक विभाग का कार्य करेगा।

राज्य सलाहकार परिषद् के कार्य, कार्यप्रक्रिया एवं सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम-28 के अनुसार निर्धारित होंगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से।

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग।

School Education Department
NOTIFICATION
Jaipur , 30 May, 2023

No. F21(19)Edu.-1/E.E./2021 Part/ Jaipur, date 04.10.2022 .- In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 34 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 (RTE Act .) , read with Rule 28 of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education , Rules , 2011 , the State Government hereby constitutes the State Advisory Council as per following composition–

Chairperson :

Education Minister. School and Sanskrit Education (Govt. of Rajasthan)

Ex - officio Members :

1.Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, School Education Department , Govt, of
Rajasthan .
2.Director, RSCERT, Udaipur .
3.Director, Elementary Education Rajasthan, Bikaner
4.Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) Jaipur .
5.State Project Director, RCScE, Jaipur- Member Secretary .

Nominated Members :

1.Shri Baga ram Sardul, Rtd. School Lecturer Bikaner. (Non Govt. Member (SC))
2.Ms. NirmalMeena D/o Shri Ram Narayan Meena, Kota. (Non Govt. Member (ST))
3.Dr. Zafar, Director, Pragati Teacher Institute , Kota. (Non Govt. Member (Min.))
4.Smt. Sushila Bohara, Jodhpur. (Non Govt. Member (Specialist in education of children with special needs))
5.Smt. Sudarshna Kulhar, Rtd. CBEO, Jhotwara, Jaipur. (Non Govt. Member (Specialist from the field of Pre-primary education)
6.Shri Shiv Singh Parihar, Jodhpur. (Non Govt. Member (Specialist from the field of Teacher Education)
7.(i) Shri Pratap Singh Kaswan ,Rtd. DEO ,Nawa, Teh. Rajgarh, Churu. (Non Govt. Member (General)

(ii) Shri Anil Sharma, Chairman, School ShikshaParivar, Jaipur. (Non Govt. Member (General)

The State Advisory Council shall advise the State Government on implementation of the provisions of the RTE Act.

The period of tenure of the nominated members of the Council will be two years from the date of notification

The Department of School Education would serve as the administrative department to the State Advisory Council .

The functions , procedure for transaction of business and appointment of the members of the Council shall be governed by the Rule 28 of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education, Rules, 2011.

By Order of the Governor,

Secretary**,**
School Education Department.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।